(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी   मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/2019

बउनवान

1– मयंक तिवारी आयु 29 वर्ष पुत्र गिरिराज प्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी नौताडा नौताडा (सुल्तानपुर) तहसील दीगोद जिला कोटा।

2– अनूप तिवारी आयु 31 वर्ष पुत्र गिरिराज प्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी नौताडा (सुल्तानपुर) तहसील दीगोद जिला कोटा।

(अपीलांट)

बनाम

1– विनोद कुमार पुत्र स्व0 कैलाश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 ए/4 मोती कॉलोनी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ।

2– मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी छबडा तहसील छबडा हाल मुकाम 3 एच 9 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा।

3– लोकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 ए/4 मोती कॉलोनी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ।

4– रामभरोसी पत्नि कैलाश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कोलूखेडा हाल मुकाम छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ।

5– नूतनदेवी उर्फ नन्दकंवर पुत्री कैलाश प्रसाद शर्मा पत्नि दिनेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 ए/4 मोती कोलोनी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ

6– सरोज शर्मा पुत्री कैलाश प्रसाद शर्मा पत्नि ओम प्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 24 प्रताप नगर विस्तार योजना बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा कोटा।

7– सीमा शर्मा पुत्री कैलाश प्रसाद शर्मा पत्नि संजीव कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बाजार नम्बर 3 राजेश टाकिज के पास रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

8– हेमलता पुत्री कैलाश प्रसाद शर्मा पत्नि स्व0 ब्रम्हानन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गणेश दरवाजे के पास खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

9– विजयलक्ष्मी उर्फ कामिनी शर्मा पुत्री गिरिराज प्रसाद तिवारी पत्नि अनिल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सी–217 ग्रामीण पुलिस लाईन लाजपत नगर प्रथम बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा कोटा।

10– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–भू–अभिलेख/उत्तराधिकार–वसीयत /2019/4/2136–37 दिनांक 26.9.2019 के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री भगवान प्रसाद दाधीच अभिभाषक (अपीलांट)

2– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट) क्रम. 1,2,3,4,5,7,8,9

3– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 6)

निर्णय दिनांक 24.01.2020

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–भू–अभिलेख/उत्तराधिकार–वसीयत/2019/4/2136–37 मे पारित निर्णय दिनांक 26.9.2019 से अप्रसन्न होकर, अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 21.10.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। जो इस न्यायालय को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1,2,3,4,5,7,8,9 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहे है। रेस्पोडेन्ट क्रम 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रही है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील with draw किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील with draw किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अपीलांट उक्त अपीलीय प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है एवं प्रकरण को इसी स्टेज पर with draw करना चाहते है।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अपीलांट उक्त अपीलीय प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है एवं प्रकरण को इसी स्टेज पर with draw करना चाहते है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की उभयपक्ष बहस सुनी गई। यह न्यायालय इस आशय के साथ अपील with draw करने की अनुमति प्रदान करता है कि प्रार्थना पत्र के संलग्न राजीनामा को तस्दीक इस न्यायालय द्वारा नही किया गया है और पक्षकारान को यह स्वतंत्रता होगी कि भविष्य मे वे कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में संस्थित कर सकेगे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.02.12 17:37:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: